राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक प. 2(1)कार्मिक/क–2/2014/पार्ट जयपुर, दिनांकः 14 AUG 2015

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स) सहित।

परिपत्र

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28.01.2014 के द्वारा जारी राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 एवं इस नियम के तहत जारी परिपत्र दिनांक 17.07.2014 के क्रम में सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों से अनुसूचित क्षेत्र में ही बने रहने अथवा गैर अनुसूचित क्षेत्र से अनुसूचित क्षेत्र में जाने संबंधी विकल्प पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31 मई, 2015 तक निर्धारित की गई थी। मई, 2015 तक प्राप्त सभी विकल्पों के आधार पर 30 जून, 2015 तक गैर अनुसूचित क्षेत्र से अनुसूचित क्षेत्र में स्थानान्तरण की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किये गये थे।

इस क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन कर्मचारियों को नियम–6(3) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र की सेवा में (उनके द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर) समाहित (absorbed) किया जा चुका है, उनकी सेवा पुस्तिका में तत्संबंधी प्रविष्टि किया जाना आवश्यक है। सुविधा हेतु प्रविष्टि का सलाहकारी प्रारूप परिपत्र के पृष्ठ भाग में अंकित किया जा रहा है।

सभी विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष ऐसे सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में 15 सितम्बर, 2015 तक उक्तानुसार प्रविष्टि कर, आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को पालना रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव गण।
4. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

कृ.प.उ.

Ganesh ji//2015/Circular--17 42/2015

सेवा पुस्तिका हेतु 'प्रविष्टि का सलाहकारी प्रारूप'

"कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.01.2014 तथा परिपत्र दिनांक 17.07.2014 की अनुपालना में श्री/सुश्री...(कर्मचारी का नाम) द्वारा दिए गए विकल्प पत्र के आधार पर इनका समायोजन (absorbtion) नियम, 2014 के नियम–6(3) के तहत अनुसूचित क्षेत्र की ....(*सेवा का नाम) में.................................(पद का नाम) पर किया जा चुका है।"

हस्ताक्षर मय
कार्यालय सील

* यथा पुलिस अधीनस्थ सेवा, शिक्षा अधीनस्थ सेवा इत्यादि।